



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 319) पटना, बृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2026

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

1 अप्रील 2026

सं० जी/विविध-20-13/2025-3276—चूँकि राज्यपाल, बिहार को यह समाधान हो गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CGS (City Gate Station), ग्राम+मौजा-बीड़ी रणपाल, थाना-उदाकिशुनगंज, अंचल-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा, बिहार को, इस आधार पर कि उक्त संस्थान से संबंधित सूचना या इसका विनाश या कार्यकलाप में बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु के लिए उपयोगी होगा, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत “प्रतिषिद्ध स्थान” घोषित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है;

तथा, चूँकि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत “प्रतिषिद्ध स्थान” घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है;

तथा, चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं०-667 दिनांक-13.02.1968 के माध्यम से बिहार राज्य में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (ग) एवं (घ) के अन्तर्गत “प्रतिषिद्ध स्थान” घोषित करने की शक्ति बिहार सरकार को प्रत्यायोजित की गई है।

अतएव, बिहार राज्यपाल उपर्युक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CGS (City Gate Station), ग्राम+मौजा-बीड़ी रणपाल, थाना+अंचल- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा, जिसका भूमि सम्बन्धी विवरण इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची-I में वर्णित है, को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से “प्रतिषिद्ध स्थान” घोषित करते हैं।

अनुसूची- I

“प्रतिषिद्ध स्थान”का नाम— इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CGS (City Gate Station), ग्राम+मौजा—बीड़ी रणपाल, थाना+अंचल—उदाकिशुनगंज, जिला—मधेपुरा, बिहार।

अनुसूची क्रम सं०	खाता संख्या	खेसरा संख्या	ग्राम एवं जिला	मौजा	थाना संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6	7	
1	468	1360	ग्राम—बीड़ी रणपाल जिला—मधेपुरा	बीड़ी रणपाल	168	10 डी० 500 वर्गकड़ी	उ०—रतनेश यादव द०—रतनेश यादव एवं गोल गैस पु०—खेसरा सं०—1369 प०—सड़क एवं पेट्राल पंप
2	468	1376			168	16 डी० 300 वर्गकड़ी	
3	410	1361			168	18 डी० 800 वर्गकड़ी	
4	410	1374			168	05 डी०	
कुल						50 डी० 600 वर्गकड़ी	

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के. सुहिता अनुपम,
सरकार के विशेष सचिव।

1 अप्रैल 2026

सं० जी/विविध-20-13/2025-3276 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के. सुहिता अनुपम,
सरकार के विशेष सचिव।

The 1st April 2026

Whereas, The Governor of Bihar is satisfied that it is necessary and expedient to declare the City Gate Station (CGS) of Indian Oil Corporation Limited, Village+Mauja-Bidiranpal, Thana-Udakishunganj, Anchal-Udakishunganj, District-Madhepura, Bihar, to be "**Prohibited Place**" under the sub-clause (d) of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act No. 19 of 1923), on the ground that interference with respect thereto, or the distruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

And, wheareas, the power to declare '**Prohibited Place**' under sub clause (d) of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923(Central Act 19 of 1923), has been vested with the Government of India.

And, Whereas, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide notification no.-SO- 667, dated-13.02.1968, delegated the powers to declare a "**Prohibited Place**" under sub clause c & d of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), in the state of Bihar to the State Government.

Now, therefore, in exercise of the abovementioned delegated powers, the Governor of Bihar is pleased to declare the City Gate Station (CGS) of Indian Oil Corporation Limited, Village+Mauja-Bidiranpal, Thana-Udakishunganj, Anchal-Udakishunganj, District-Madhepura, Bihar, as **Prohibited Place** under the sub clause (d) of clause (8) of

section-2 of Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), with immediate effect, description of which are mentioned in the following Schedule-I.

Schedule-I

Name of the 'Prohibited Place'- City Gate Station (CGS) of Indian Oil Corporation Limited, Village+Mauja-Bidiranpal, Thana-Udakishunganj, Anchal-Udakishunganj, District-Madhepura, Bihar.

S.L. No.	Khata No.	Plot No.	Village and District	Mauja	Thana No.	Area (In Acre)	Boundary
1		2	3	4	5	6	7
1	468	1360	Vill-Bidi Ranpal, Dist-Madhepura	Bidi Ranpal	168	10 dec. 500 Vargkadi	North- Ratnesh Yadav South- Ratnesh Yadav & Gol Gas East- Plot No.-1369 West- Road & Petrol Pump
2	468	1376			168	16 dec. 300 Vargkadi	
3	410	1361			168	18 dec. 800 Vargkadi	
4	410	1374			168	05 dec.	
					Total	50 dec. 600 Vargkadi	

By Order of the Governor of Bihar,
K. Suhita Anupam,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 319-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>